राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

विषयः— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत संस्थाओं के लिए दिशा—निर्देशों को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने बाबत।

संदर्भः— इस विभाग की पूर्व अ.शा.टीप संख्या प.1(7)वित्त/साविलेनि/2010 दिनांक 23.05.2012 एवं प.3(1)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांक 02.06.2014

सन्दर्भित अ.शा. टीपों के माध्यम से आपके अधीनस्थ संस्थाओं के विधान/नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई/संशोधन की प्रक्रिया अपनाने के साथ—साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 56 के अन्तर्गत दिशानिर्देश (Guidelines) तैयार कराने और उन्हें नियमानुसार राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु वित्त (SPFC) विभाग को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इस क्रम में पुनः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ किसी उपापन संस्था (Procuring Entity) द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के सम्बन्ध में दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए गये हैं तो तीन दिवस की अवधि के भीतर वित्त (SPFC) विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि उन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करावें।

14/2

(नवीन महाजन)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव
....

अ.शा.टीप संख्या प.3(1) वित्त/एसपीएफसी/2013
जयपुर, दिनांक 14/2/2017